

मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग— रामनगर नैनीताल द्वारा तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर की बैलपड़ाव रेंज, तहसील— रामनगर , जिला—नैनीताल में दाबका नदी से रेता, बजरी, बोल्डर के खनन/चुगान की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 30.05.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग— रामनगर, नैनीताल द्वारा तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर की बैलपड़ाव रेंज, नैनीताल में दाबका नदी से रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान(क्षेत्रफल 112.00 हैक्टेयर) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना—2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तान टाईम्स के दिन 26.04.2023 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/ इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल, जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र नैनीताल, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रामनगर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तदक्रम में उप जिलाधिकारी, महोदय रामनगर की अध्यक्षता में दिन 30.05.2023 को प्रातः 11:00 बजे परियोजना स्थल, पंडित गौरी दत्त दानी सरस्वती विद्या मंदिर छोई, रामनगर जिला—नैनीताल में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम हरीश चन्द्र जोशी, सहाय वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा जन सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित उप जिलाधिकारी, रामनगर तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

उप जिलाधिकारी रामनगर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था ओशिओ—इन्वायरो मैनेजमेन्ट सॉल्यूशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के श्री हिमांशु गोयल द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना दाबका नदी से रेता, बजरी, बोल्डर आदि हेतु खनन/चुगान परियोजना है। परियोजना का खनन स्थल दाबका नदी रामनगर, जिला— नैनीताल में स्थित है। खनन परियोजना से होने वाले लाभ—हानि व सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया तथा कहा गया कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तथा प्रस्तावित खनन परियोजना

मृ

मृ

में समावित पर्यावरणीय पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है। परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण, भूगर्भीय जल मृदा तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण कर नमूने एकत्र किये गये हैं। विश्लेषण आख्यायें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। निर्माण क्षेत्र में बदलते रुझान के चलते, आम मध्यम वर्ग की सामर्थ्य में हुई वृद्धि और देश भर में आवासीय और वाणिज्यिक मकान की बढ़ती हुई मांग के कारण, पिछले एक दशक से रेता, बजरी, बोल्डर की मांग ने काफी गति पकड़ी है। साथ ही खेल के मैदानों के पुनः निर्माण, सड़क निर्माण, इत्यादि में भी रेता, बजरी, बोल्डर उपयोगी है। उपखनिज समाज तथा राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। देश के सामरिक एवं संरचना के विकास और आर्थिक विकास में खनिज महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। परियोजना, निर्माण सामग्री की भारी मांग को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेगी। परियोजना से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और इससे जीवन के स्तर को बढ़ावा मिलेगा। कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी सी0ई0आर0 के अन्तर्गत स्वास्थ्य शिविर, जन जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जिले में एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। खनन परियोजना के द्वारा पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाई गई है जिसमें उच्चतम गुणवत्ता वाली विधियों का प्रयोग किया जायेगा, जिससे आस-पास का वातावरण पहले से ज्यादा अच्छा होगा। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से यह परियोजना जन समुदाय को लाभ प्रदान करेगी। तदक्रम में क्षेत्रीय प्रबंधक(प0क्षे0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना के अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाने की आवश्यकता है। जिस हेतु लोक सुनवाई आवश्यक है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित रेता, बजरी, बोल्डर के खनन/चुगान परियोजना के सम्बन्ध में उपस्थित समुदाय से सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री गोधन फर्त्याल, छोई, रामनगर जनपद—नैनीताल :— श्री फर्त्याल द्वारा कहा गया है कि दाबका नदी से भू—कटाव की रोकथाम होनी चाहिये। नदी का पानी छोई के रास्ते गांव में प्रवेश करता है जिससे बाढ़ का खतरा बना रहता है। वर्तमान में भू—कटाव आदि की रोकथाम हेतु चेक डैम आदि का निर्माण किया जाना चाहिये।
2. श्री बह्यदेव झा, रामनगर, जनपद— नैनीताल :— श्री बह्यदेव झा द्वारा अवगत कराया गया है कि मजदूरों के रहने की उचित व्यवस्था नदी तट में किया जाना चाहिये। जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी तथा खनन अधिक मात्रा में किया जा सकेगा। तदक्रम में श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहा० वैज्ञा० अधिकारी, द्वारा उपस्थित लोगों से प्रस्तावित परियोजना में अपने सुझाव, आपत्ति आदि प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जिससे प्रस्तावित परियोजना के अन्तिम रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके तथा भविष्य में परियोजना से

स्थानीय लोगों को लाभ हो सके। क्षेत्रीय प्रबन्धक(प०क्षे०), उ० वन विकास निगम, रामनगर द्वारा सभी से अपने सुझाव से अवगत कराने के लिए निवेदन किया गया।

3. श्री राजेन्द्र बिष्ट छोई, रामनगर, जनपद— नैनीतालः— श्री बिष्ट द्वारा कहा गया है आर बी एम परिवहन वाहनों में प्रेशर हॉर्न पर प्रतिबंध किया जाना चाहिये तथा स्कूल के 200 मीटर परिधि पर नो हॉर्न जोन बनाया जाना चाहिये।
4. श्री कमल पाण्डे, छोई, रामनगर, जनपद— नैनीताल :— श्री पाण्डे द्वारा अवगत किया गया है कि निगम द्वारा प्रस्तावित 245 दिनों में खनन कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में वन क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आगामी 05 वर्षों के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु बहुमुल्य सुझाव व टिप्पणीयों रखने हेतु आग्रह किया गया। तदक्रम में श्री कमल पाण्डे द्वारा कहा गया कि भू-कटाव निस्तारण हेतु जाली, ब्लॉक की व्यवस्था कि जाए, जिससे बाढ़ आदि का निस्तारण हो सके। दाबका पुल से उपर का क्षेत्र सिल्ट कि वजह से ऊंचा हो गया है जिसकी वजह से गांव में भू-कटाव हो रहा है। वर्तमान में खनन कार्य चैनलाइज तरीके से करवाया जाए। तदसम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक(प०क्षे०), उ० वन विकास निगम, रामनगर द्वारा अवगत किया गया है कि दाबका पुल के उपर का क्षेत्र वन विभाग के अन्तर्गत है तथा खनन कार्य हेतु दाबका पुल के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित है।
5. श्री कार्तिक बिष्ट, छोई, रामनगर, जनपद— नैनीताल :—श्री बिष्ट द्वारा अवगत किया गया कि पूर्व 05 वर्षों से छोई के दोनों तरफ काफी मात्रा में सिल्ट जमा हो गया है जिस हेतु निगम द्वारा खनन कार्य कि अनुमति प्रदान की जानी चाहिये, जिससे दाबका नदी का बहाव मध्य में हो तथा बाढ़ आदि की समस्या का निस्तारण हो जाए।

तदपश्चात् क्षेत्रीय प्रबन्धक(प०क्षे०), उ० वन विकास निगम रामनगर द्वारा कहा गया कि खनन परियोजना आगामी 05 वर्षों के लिए प्रस्तावित है एवं आपके द्वारा दिये गये सुझाव महत्वपूर्ण है तथा यह भी अवगत कराया है कि दाबका पुल के उपर का क्षेत्र पवलगढ़ बाघ अभयारण्य के अन्तर्गत है, जिसके लिए वन विभाग से वार्ता की जाएगी। वर्तमान में प्रस्तावित खनन परियोजना दाबका पुल के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित है, जिसमें निर्देशानुसार खनन कार्य किया जाएगा। मजदूर खनन परियोजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। मजदूरों को नदी के आस-पास निवास हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

तदक्रम उप जिलाधिकारी, रामनगर द्वारा कहा गया कि नदी से होने वाले भू-कटाव की रोकथाम के प्रयास किये जाने चाहियें। तदक्रम में प्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी रामनगर द्वारा अवगत कराया गया कि चेक डैम के निर्माण हेतु टेंडर निकाले गये हैं तथा चेक डैम का निर्माण वर्षा काल से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा। उप जिलाधिकारी द्वारा पुनः लोगों से सुझाव व मौखिक/लिखित रूप से देने को कहा गया तथा अन्य टीका टिप्पणी सुझाव प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

कृष्ण

गुरु

- अनावृत नव विनाय निगम, खनन प्रकाश, रामगढ़, तराई पर्वतमा
नव प्रकाश तदलील-रामगढ़, जिला-नेपाल में दानका नदी से रोता,
बज्री, लोडर खनन) चुनान (फ्रेक्टल-112 है) की पर्यावरणीय स्थीरता
देख मायोजित लोडर सुनवाइ में अधिकारी का विवर:-

सुनवाइ छल - पाइल गाँड़ी दत्त दानी, कल्पना विधानसभा, छोटी राम

समय द्वं तिथि - प्रात 11:00 बजे, 14-30 मई 2023

क्र.पद.	नाम	पता	उपलाप
1.	मी. गाँड़व चौटाल दीदा चन्द्र जोशी	उपजिलाधिकारी रामगढ़ सदा. वैज्ञानिक-UKPCB	गुरु
2.	Manish Pat	R.PM (W)	म
3.	SHER SINGH	DLU देहरादून	मुख्य
4.	HIMANSHU SOGI (OEMSIL)	Vasudha, GIZ	म
5.	Krishna Karm	Stakeholder	म
6.	आयुष रेगी	वैज्ञानि. सदा. UKPCB	म
7.	लिला रेडी छडा देव	सुशालडॉ दोड रामगढ़	म
8.	Sanjay Singh	पद्मपुर द्वारा मासिपुर द्वारा	म
9.	कातिम	गजपुर द्वारा	म
10.	गाँड़व चौटाल	गजपुर द्वारा	म
11.	माधवानेश	" "	म
12.	ताम्र-राज-राम	विधायक	म
13.	Prakash Singh	दृष्टि	म
14.	प्राप्ति भट्ट	दृष्टि	म
15.	करमजीत	गाँड़व	म
16.	उपलाप	उपलाप	म
17.	सोहर भट्ट	दृष्टि	म
18.	नानकराम	उपलाप	म
19.	नानकराम	दृष्टि	म

नं०	पता	देश
24.	मालियाची	भौ
25.	दिनेश-राज पाता	हिंदू
26.	द्वारक-राम	गैल्कुड़ा
27.	राम-राम-राम	→
28.	स्वर्णालय-राम	11 "
29.	सदन भाई-पाता	भौ
30.	बीमारा घोड़े कील	दृढ़
31.	द-द लालाल	धूर
32.	सिंधु पाटिया	मुग्गा
33.	कमल खोड़ा	कूच-खु
34.	तरारल १०५४	तरा
35.	दिन-द	दिन
36.	दीप्ति दिव्य	दीप्ति
37.	श्रीराम-आपा	रामना०२
38.	दुर्घाराम पता	—
39.	दुर्घाराम पता	—
40.	दुर्घाराम पता	—
41.	दुर्घाराम पता	—
42.	दुर्घाराम पता	दृढ़
43.	दुर्घाराम पता	दृढ़
44.	दुर्घाराम पता	दृढ़
45.	दुर्घाराम पता	दृढ़
46.	दुर्घाराम पता	—
47.	दुर्घाराम पता	—
48.	दुर्घारा अनी	—
49.	दुर्घारा अनी	—
50.	दुर्घारा	दुर्घारा
51.	दुर्घारा	दुर्घारा
52.	दुर्घारा	RAMNAGAR